

Think
IAS...



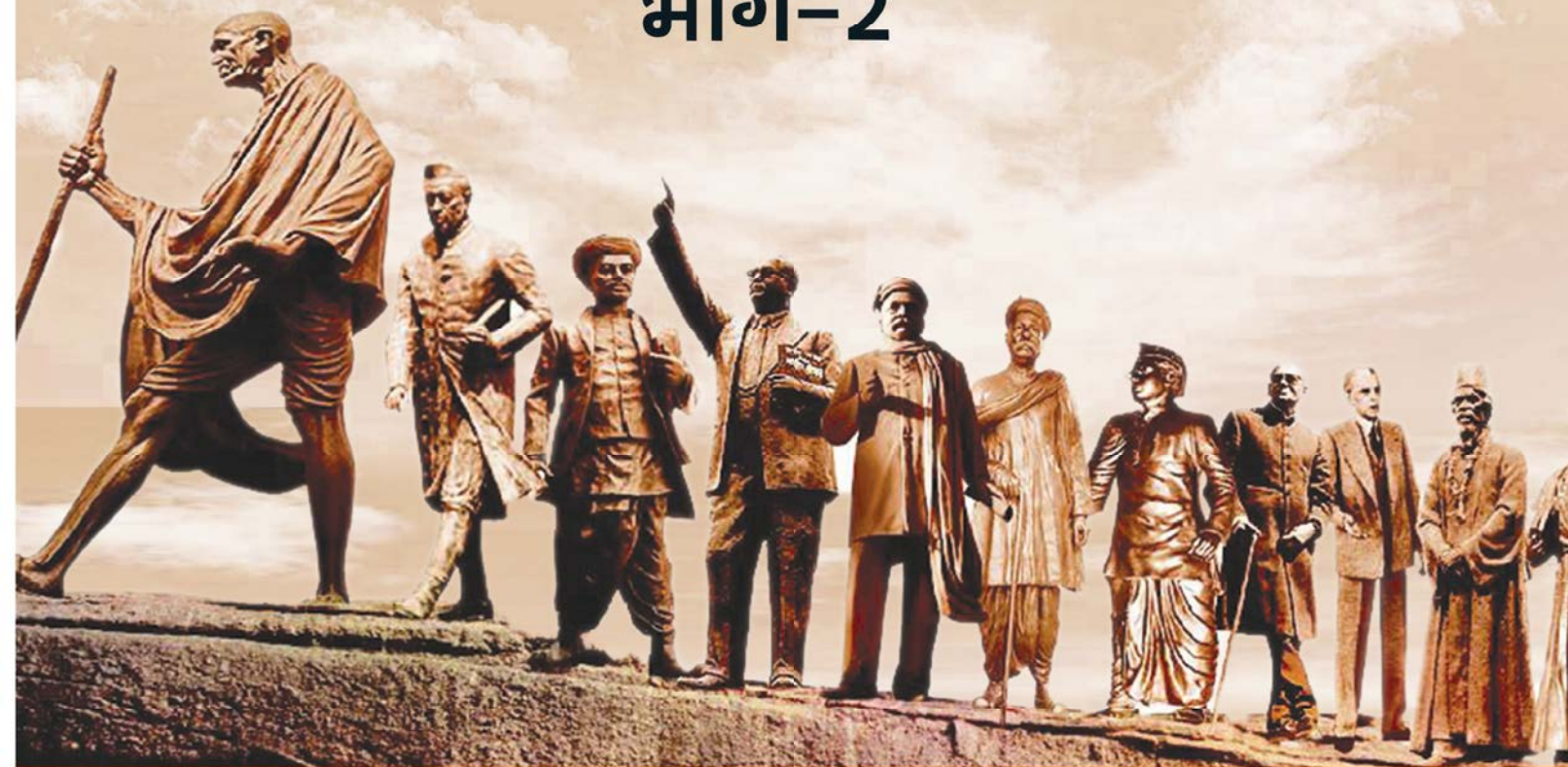
Think
Drishti

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RAS/RTS)

आधुनिक भारत

(राजस्थान के विशेष संदर्भ सहित)

भाग-2



दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: RJPM19



राजस्थान लोक सेवा आयोग (RAS/RTS)

आधुनिक भारत

(राजस्थान के विशेष संदर्भ सहित)

भाग-2



641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

दूरभाष : 011-47532596, 8750187501

टोल फ्री : 1800-121-6260

Web : www.drishtiIAS.com

E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें



www.facebook.com/drishtithevisionfoundation



www.twitter.com/drishtiiias

8. ब्रिटिशकालीन प्रमुख अधिनियम तथा प्रशासक	5-27
8.1 प्रमुख अधिनियम	5
8.2 प्रशासक	16
9. राष्ट्रवाद का उदय	28-42
9.1 भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण	28
9.2 कॉन्ग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएँ	31
9.3 भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस की स्थापना	34
10. राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण	43-60
10.1 उदारवादी चरण	43
10.2 उग्रवादी चरण	45
10.3 बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन	47
10.4 क्रांतिकारी आंदोलन (प्रथम चरण)	52
11. राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण	61-89
11.1 होमरूल आंदोलन	61
11.2 गांधीवादी आंदोलन (प्रथम चरण)	63
11.3 क्रांतिकारी आंदोलन (द्वितीय चरण)	69
11.4 भारत में दलित आंदोलन	71
11.5 गांधीवादी आंदोलन (द्वितीय चरण)	72
12. राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूरों एवं महिलाओं की सहभागिता	90-98
12.1 ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन	90
12.2 राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता	91
12.3 विविध	93

13. स्वातंत्र्योत्तर भारत	99-132
13.1 संविधान सभा और संविधान निर्माण समिति	99
13.2 आज़ादी के बाद का भारत	102
13.3 भाषायी समस्या	107
13.4 भूमि सुधार	109
13.5 राज्यों का पुनर्गठन	113
13.6 पंचवर्षीय योजनाएँ	116
13.7 बैंकों का राष्ट्रीयकरण	117
13.8 प्रिन्सिपल की समाप्ति	117
13.9 जे.पी. आंदोलन और आपातकाल	117
13.10 मिली-जुली सरकारों का दौर	124
13.11 आंतरिक विद्रोह एवं आंदोलन	126

ब्रिटिशकालीन प्रमुख अधिनियम तथा प्रशासक (Important Act and Administrator of British Period)

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा 1599 से आरंभ होती है, जब महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राजलेख द्वारा पंद्रह वर्षों के लिये व्यापार का अधिकार प्रदान किया, जिसे '1599 ई. का चार्टर' कहा गया। इस चार्टर के माध्यम से कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार का अधिकार सौंपा गया तथा कंपनी की समस्त शक्तियाँ 24 सदस्यीय परिषद में निहित कर दी गईं। '1726 ई. के चार्टर' से कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को विधि-निर्माण की शक्ति सौंपी गई।

8.1 प्रमुख अधिनियम (Important Act)

रेग्यूलेटिंग एक्ट, 1773 (Regulating Act, 1773)

भारत के संवैधानिक इतिहास में 1773 का रेग्यूलेटिंग एक्ट विशेष महत्त्व रखता है। यह अधिनियम (Act) भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रणों के प्रयासों की शुरुआत थी। परिणामतः अब कंपनी के शासनाधीन क्षेत्रों का प्रशासन कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं रहा। इस एक्ट में भारत में कंपनी के शासन के लिये पहली बार लिखित संविधान (Written Constitution) प्रस्तुत किया गया। इस एक्ट में उल्लिखित प्रावधान निम्नवत थे-

- इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की स्थापना की गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अवर न्यायाधीश होते थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल (Privy Council) में की जा सकती थी। इस सर्वोच्च न्यायालय को प्राथमिक तथा पुनर्विचार संबंधी अधिकार दिये गए। यह न्यायालय 1774 ई. में गठित किया गया तथा सर एलीजा एंपे को इसका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
- मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, जिसका प्रमुख एक गवर्नर जनरल (Governor General) होता था। गवर्नर जनरल का नियंत्रण अपूर्व (Absolute) था। बंगाल में एक प्रशासक मंडल बनाया गया, जिसमें गवर्नर जनरल (अध्यक्ष) तथा चार सदस्य जिन्हें पार्षद कहा जाता था, को नियुक्त किया गया। इस प्रशासक मंडल में निर्णय बहुमत से होते थे। केवल मत बराबर होने की स्थिति में ही गवर्नर जनरल निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता था।
- प्रशासक मंडल के सदस्यों का निर्वाचन पाँच वर्षों के लिये किया जाता था तथा वे कंपनी के निदेशक मंडल (Board of Directors) की सिफारिश पर ब्रिटिश क्राउन (British Crown) द्वारा ही हटाए जा सकते थे।
- इस अधिनियम के अनुसार कर्मचारी किसी भी प्रकार का उपहार, दान या पारितोषिक ग्रहण नहीं कर सकते थे।
- गवर्नर जनरल का वेतन 25 हजार पौंड, गवर्नर का 10 हजार पौंड, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का 8 हजार पौंड तथा अवर न्यायाधीश का वेतन 6 हजार पौंड वार्षिक निश्चित कर दिया गया।

इस प्रकार रेग्यूलेटिंग एक्ट के माध्यम से एक ईमानदार शासन का आधारभूत सिद्धांत निर्धारित किया गया तथा इस नियामक अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के लिये एक लिखित संविधान प्रणाली का सूत्रपात हुआ। वास्तव में इस अधिनियम के माध्यम से 'एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों के स्थान पर एक संस्था के शासन' की स्थापना हो गई।

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 (Pitt's India Act; 1784)

कंपनी पर अपने प्रभाव को मजबूत करने के उद्देश्य से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सन् 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। इसके माध्यम से छः सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड (Board of Control) की व्यवस्था की गई। इस नियंत्रण बोर्ड को भारतीय प्रशासन के संबंध में निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण संबंधी व्यापक अधिकार दिये गए, हालाँकि कंपनी के व्यापार को अछूता छोड़ दिया गया। इस एक्ट के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे-

भारतीय परिषद अधिनियम, 1892	लॉर्ड लैसडाउन
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909	लॉर्ड मिंटो द्वितीय
भारत सरकार अधिनियम, 1919	लॉर्ड चेम्सफोर्ड
भारत सरकार (शासन) अधिनियम, 1935	लॉर्ड विलिंगटन
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947	लॉर्ड माउंटबेटन

परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य

- लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में 'फोर्ट विलियम कॉलेज' की स्थापना की थी।
- 1813 ई. के चार्टर एक्ट से कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया, यद्यपि चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा।
- 1833 ई. के एक्ट से भारतीय कानून को संचित व संहिताबद्ध करने तथा सुधारने की भावना से एक **विधि आयोग** की स्थापना की गई।
- 1833 ई. के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापारिक अधिकार को भी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया।
- ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक व्यवस्था को सर्वप्रथम 1861 ई. के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा स्थापित किया।
- 1919 ई. में जब मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था।
- लोक सेवाओं में उत्कृष्टता के लिये लॉर्ड कर्जन के समय में मुस्लिम सदस्यों 'खान बहादुर' जबकि हिंदू सदस्यों को, राय बहादुर की उपाधियाँ देना प्रारंभ दिया गया।
- 1935 ई. के भारत सरकार अधिनियम से केंद्र में द्वैध शासन लागू कर आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने का प्रावधान किया गया तथा विषयों का विभाजन **संघीय सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची** में किया गया।
- 1935 ई. के अधिनियम पारित होने के समय **लॉर्ड विलिंगटन** वायसराय थे।
- भारत में किये गए कार्यों के लिये इंग्लैंड में **वरिन हेस्टिंग्स** पर महाभियोग चलाया गया।
- लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है।
- 'केसर-ए-हिंद' की उपाधि महारानी विक्टोरिया को प्रदान की गई।
- भारत में प्रथम बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी।
- ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित करने की घोषणा लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में की गई।

बहुविकल्पीय प्रश्न

- | | |
|--|---|
| <p>1. निम्नलिखित में से भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन चिह्नित कीजिये। RAS (Pre) 2016</p> <p>(1) यह अधिनियम मॉर्ले-मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है।</p> <p>(2) इस अधिनियम में केंद्रीय व प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया था।</p> <p>(3) भारत शासन अधिनियम 1919 वर्ष 1921 में लागू हुआ।</p> <p>(4) मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे।</p> | <p>2. अधोलिखित कथन (A) और (B) को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें</p> <p style="text-align: right;">RAS (PRE) 2013</p> <p>(A) 1813 के चार्टर एक्ट से मुक्त व्यापार की नीति को प्रारंभ किया गया।</p> <p>(B) 1813 से भारत की आर्थिक नीतियाँ इंग्लैंड के औद्योगिक बुर्जुवा वर्ग के हितों से निर्धारित होने लगीं थीं।</p> |
|--|---|

कूट:

- (1) (A) एवं (B) दोनों ही गलत हैं
- (2) (A) एवं (B) दोनों ही सही हैं
- (3) (A) सही है, जबकि (B) गलत है
- (4) (A) गलत है, जबकि (B) सही है

3. मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे?

- (1) सामाजिक सुधार (2) शैक्षिक सुधार
- (3) पुलिस प्रशासन में सुधार
- (4) सांविधानिक सुधार

4. भारत सरकार अधिनियम, 1919 ई. ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया?

- (1) न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण
- (2) केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता
- (3) भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एवं वायसराय की शक्तियाँ
- (4) उपरोक्त में से कोई नहीं।

5. 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन-सी प्रमुख विशेषता/विशेषताएँ है/हैं?

1. प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था।
2. मुसलमानों के लिये पृथक् सांप्रदायिक निर्वाचक-मंडलों की व्यवस्था।
3. केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण

कूट:

- (1) केवल 1 (2) केवल 2 और 3
- (3) केवल 1 और 3 (4) 1, 2 और 3

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. तृतीय गोलमेज़ सम्मेलन के विचार-विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम, 1935 के पारित होने के रूप में हुई।
2. भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (1) केवल 1 (2) केवल 2
- (3) 1 और 2 दोनों (4) न तो 1 और न ही 2

7. रेग्युलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये।

1. कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी।
2. सर एलीजा एम्पे को इस सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था।
3. इस अधिनियम के अनुसार कर्मचारी किसी भी प्रकार का उपहार, दान या पारितोषिक ग्रहण नहीं कर सकते थे।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (1) केवल 2 (2) केवल 1
- (3) केवल 1 और 2 (4) 1, 2 और 3

8. सर्वप्रथम नियंत्रण बोर्ड (Board of Control) की स्थापना की गई थी:

- (1) रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 द्वारा
- (2) पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 द्वारा
- (3) चार्टर एक्ट, 1813 द्वारा
- (4) चार्टर एक्ट, 1833 द्वारा

9. निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत एक भारतीय सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त करने की व्यवस्था की गई?

- (1) भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
- (2) भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
- (3) भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
- (4) इनमें से कोई नहीं।

10. निम्नलिखित में से कौन-सा/से प्रावधान 1833 के चार्टर अधिनियम से संबद्ध था/थे?

1. कंपनी के अधिकार पत्र को 10 वर्षों के लिये बढ़ाया जाना।
2. कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त करना।
3. कंपनी के भारतीय चाय और चीन के साथ व्यापारिक अधिकार को बनाए रखना।

कूट:

- (1) केवल 1 और 2 (2) केवल 2
- (3) केवल 1 और 3 (4) 1, 2 और 3

11. विधि आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था?

- (1) चार्टर अधिनियम, 1833
- (2) चार्टर अधिनियम, 1853

- | | |
|--|--|
| <p>(3) भारतीय परिषद अधिनियम, 1892</p> <p>(4) भारत सरकार (शासन) अधिनियम, 1935</p> <p>12. भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी परिषद में अधिकतम कितने अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया था?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (1) 6 (2) 12 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (3) 5 (4) 20 </div> <p>13. भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है?</p> <p>(1) केंद्रीय विधानपरिषद में सदस्य संख्या बढ़ाकर 69 की गई।</p> <p>(2) पृथक् निर्वाचन व्यवस्था आरंभ हुई।</p> | <p>(3) परिषद के लिये निर्वाचित सदस्य प्रत्यक्षतः चुने जाने थे।</p> <p>(4) सभी कथन गलत हैं।</p> <p>14. प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिये द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी-</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (1) 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। (2) 1861 के चार्टर एक्ट द्वारा। </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (3) 1909 के मॉर्ले-मिंटो अधिनियम द्वारा। (4) 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। </div> <p>15. जब भारत सरकार (शासन) अधिनियम, 1935 पारित हुआ था तब भारत का वायसराय था?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (1) लॉर्ड रीडिंग (2) लॉर्ड इरविन </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (3) लॉर्ड लिनलिथगो (4) लॉर्ड विलिंगटन </div> |
|--|--|

उत्तरमाला

- | | | | | | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1. (1) | 2. (2) | 3. (4) | 4. (2) | 5. (3) | 6. (3) | 7. (4) | 8. (2) | 9. (3) | 10. (2) |
| 11. (1) | 12. (2) | 13. (3) | 14. (4) | 15. (4) | | | | | |

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 15-20 शब्दों में दीजिये)

1. द्वैध-शासन प्रणाली क्या थी?
2. भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा गया है?
3. बटलर समिति।
4. इल्बर्ट बिल विवाद।
5. लॉर्ड डलहौजी।
6. ब्लैक-होल घटना।

लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 50-50 शब्दों में दीजिये)

1. पिट्स इंडिया एक्ट, 1784।
2. मॉर्ले-मिंटो सुधारों का क्या महत्व है?
3. ब्रिटिशकालीन समाज विषयक अधिनियमों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।
4. भारत परिषद अधिनियम 1861

दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 100 या 200 शब्दों में दीजिये)

1. स्वतंत्र भारत के लिये संविधान का मसौदा केवल तीन साल में तैयार करने के ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण करना संविधान सभा के लिये कठिन होता, यदि उनके पास भारत सरकार अधिनियम, 1935 से प्राप्त अनुभव नहीं होता। चर्चा कीजिये।
2. 1773 के रेग्युलेंटिंग अधिनियम के प्रावधानों का परीक्षण कीजिये।
3. "मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तावों ने द्विशासन प्रणाली लागू की, किंतु इसने जिम्मेदारियों की रेखाओं को धुँधला कर दिया।" विवेचना करें।
4. 1935 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं की संक्षिप्त चर्चा करें।

राष्ट्रवाद कोई अचानक उत्पन्न होने वाली विचारधारा नहीं है बल्कि यह एक दीर्घकालिक विकासशील प्रक्रिया है। राष्ट्र के लिये एक ऐसी भावना का होना आवश्यक है जो व्यक्तियों के समूह को आत्मिक रूप से जोड़ती है और जब राष्ट्र व्यक्ति की पहचान बन जाता है तो राष्ट्रीयता जन्म लेती है और जब राष्ट्रीयता एक विचारधारा का रूप ले लेती है, तब राष्ट्रवाद का उदय होता है। यही विचारधारा राष्ट्रीय आंदोलन या स्वतंत्रता आंदोलन की उत्पत्ति का महत्वपूर्ण कारक बनती है।

कुछ इतिहासकार भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति को प्रेरण-अनुक्रियावाद से स्पष्ट करते हैं, जिसका आशय है- ब्रिटिश सरकार ने अपने हितों के लिये भारत में जो व्यवस्थाएँ लागू कीं, भारतीयों ने उन्हीं पर अनुक्रिया कर राष्ट्रवादी भावना को विकसित किया। उल्लेखनीय है कि भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति एक आधुनिक संकल्पना मानी जाती है। भारत में जैसे-जैसे औपनिवेशिक शासन विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा, वैसे-वैसे भारतीय राष्ट्रवाद भी विकसित होता गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना बहुत तेजी से विकसित हुई और भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इसी समय दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसके नेतृत्व में भारतीयों ने एक लंबा और साहसपूर्ण संघर्ष चलाया और अंततः 15 अगस्त, 1947 को देश को ब्रिटिश दासता से मुक्ति मिली।

9.1 भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण (Causes of Rise of Indian Nationalism)

भारत में राष्ट्रीय आंदोलन अथवा राष्ट्रवाद का उदय अनेक कारणों तथा परिस्थितियों का परिणाम था, जिन्हें निम्नलिखित रूपों में देखा जा सकता है-

विदेशी आधिपत्य (Foreign hegemony)

- आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद बुनियादी तौर पर विदेशी आधिपत्य की चुनौती के जवाब के रूप में उभरा। स्वयं ब्रिटिश शासन की परिस्थितियों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता की।
- राष्ट्रवाद की जड़ें भारतीय जनता के हितों तथा भारत में ब्रिटिश हितों के टकराव में थीं। भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग ने यह अनुभव किया कि लंकाशायर के उद्योगपतियों तथा अंग्रेजों के दूसरे प्रमुख वर्गों के हितों के लिये उनके अपने हितों का बलिदान दिया जाता है।
- किसान अपने उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा भू-राजस्व के रूप में देने से असंतुष्ट थे तथा जब कभी किसान जमींदारों और सूदखोरों के दमन के खिलाफ विद्रोह करते, तब पुलिस तथा सेना कानून व्यवस्था के नाम पर उनको कुचल दिया करती थी।
- दस्तकार और शिल्पी वर्ग ने यह महसूस किया कि सरकार विदेशी प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर उनको तबाह कर रही है तथा उनके पुनर्वास के लिये कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।
- 20वीं शताब्दी में आधुनिक कारखानों, खदानों तथा बागानों के मजदूरों ने जब कभी मजदूर ट्रेड यूनियन, हड़ताल, प्रदर्शन तथा संघर्ष आदि के द्वारा स्वयं की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया, तब सरकार का पूरा तंत्र उनके खिलाफ उठ खड़ा होता था।
- समाज के कई वर्गों ने यह भलीभाँति समझ लिया था कि बढ़ती बेरोजगारी का समाधान केवल तीव्र औद्योगीकरण से संभव है, जो एक स्वाधीन सरकार द्वारा किया जा सकता है।
- स्वयं ब्रिटिश शासन भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण बनता गया और यह भारत के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा राजनीतिक विकास में प्रमुख बाधक तत्व बन गया।

राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण
(First Phase of National Movement)

भारत लंबे समय तक ब्रिटिश शासन का उपनिवेश रहा है। ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीतियों तथा ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति हेतु उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और एक संगठित आंदोलन की शुरुआत हुई। भारतीय इतिहास में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लंबे समय तक चलने वाले इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यद्यपि मई 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष माना जाता है, परंतु इसकी औपचारिक शुरुआत 1885 ई. में कॉंग्रेस की स्थापना के साथ हुई जो कई उतार-चढ़ावों से गुजरते हुए 15 अगस्त, 1947 तक अनवरत रूप से जारी रहा।

यद्यपि उन्नीसवीं शताब्दी का भारत विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों में विभाजित था तथा ब्रिटिश शासकों ने भी इस विभाजन को बनाए रखने के लिये 'फूट डालो और राज करो' की नीति को अपनाया, तथापि भारत एक भौगोलिक इकाई मात्र नहीं था, बल्कि इस विविधता में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक चेतना भी अंतर्निहित थी, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को आरंभ करने तथा विकास एवं सफलता की ओर अग्रसर होने में सहायता प्रदान की। विविधता के मूल में अंतर्निहित यह राष्ट्रीय चेतना ही थी, जिसने राष्ट्रवाद का विकास किया तथा भाषा, धर्म, जाति के बंधन को लाँघते हुए लोगों को एक सूत्र में संगठित किया। हालाँकि यह भी सच है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था तथा आधुनिक विचारों के प्रचार-प्रसार ने भी एक सीमा तक राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया, लेकिन ब्रिटिश शासन का कभी भी यह उद्देश्य नहीं था कि भारत में राष्ट्रवाद का बीजारोपण हो बल्कि उन्होंने अपने औपनिवेशिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ही कुछ सुधार किये, जिससे भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ और वे राष्ट्रीय आंदोलन के लिये प्रेरित हुए।

10.1 उदारवादी चरण (Moderate Phase)

भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस की स्थापना के साथ ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के एक नए युग का आरंभ हुआ। चूँकि कॉंग्रेस का शुरुआती नेतृत्व जिन नेताओं ने किया, उनका स्वभाव सरल एवं कार्य-प्रणाली उदार प्रकृति की थी, इसलिये राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। कॉंग्रेस के आरंभिक 20 वर्षों के काल को उदारवादी राष्ट्रीयता की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इस काल में कॉंग्रेस की नीतियाँ काफी उदार थीं। इस समय कॉंग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का प्रभाव था, जिनमें अधिकतर पत्रकार, वकील, इंजीनियर एवं डॉक्टर इत्यादि प्रमुख थे। ये उदारवादी नेता अंग्रेजी सरकार के प्रति निष्ठावान थे तथा उन्हें अपना शत्रु नहीं मानते थे। दादाभाई नौरोजी के इन शब्दों से अंग्रेजों के प्रति उनकी भावनाओं की मूर्त अभिव्यक्ति का पता चलता है- "हम ब्रिटिश प्रजा हैं, हम अपने हक की मांग कर सकते हैं। अगर हमें ब्रिटेन की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं से वर्चित रखा जाता है तो फिर भारत को अंग्रेजों के स्वामित्व में रहने से क्या लाभ? यह तो एक और एशियाई निरंकुश शासन मात्र होगा।"

इस समय के उदारवादी नेताओं में फिरोज़शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और रमेशचंद्र दत्त प्रमुख थे। कालांतर में द्वारिकानाथ गांगुली, एम.जी. रानाडे, वीर राघवाचारी, आनंद चारलू और गोपालकृष्ण गोखले भी इसमें शामिल हो गए।

उदारवादियों की कार्य-प्रणाली (Working system of moderates)

उदारवादियों को नरमपंथी के नाम से भी जाना जाता था। उनकी कार्य-प्रणाली एक विशिष्ट तरीके की थी, जिसमें वे अपने प्रतिवेदन, भाषणों और लेखों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार एवं उनके द्वारा स्थापित अंग्रेजी राज की प्रशंसा करते थे और अपनी मांगों को उनके पास रखते थे। वे अपनी उन मांगों को समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं के माध्यम से स्पष्ट करते थे ताकि जनता पर भी उनके कार्यों का प्रभाव पड़े।

राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण
(Second Phase of National Movement)

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उदारवादियों, उग्रवादियों, महिलाओं, किसानों एवं मजदूरों सहित समाज के सभी वर्ग विशेष का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समय-समय पर होने वाले विभिन्न आंदोलनों एवं कार्यक्रमों ने भारतीय जन मानस में स्वतंत्रता प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा को उत्पन्न किया। राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य जन जागृति, साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना, आत्म-त्याग की भावना का विकास करना था। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधीजी के आगमन के बाद से जन आंदोलनों को अधिक सामर्थ्य तथा गति मिली। राष्ट्रीय आंदोलन भिन्न-भिन्न समय पर भिन्न-भिन्न वैचारिक आयामों से होकर गुजरा है।

11.1 होमरूल आंदोलन (Home Rule Movement)

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1916 ई. में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा 'अखिल भारतीय होमरूल लीग' की स्थापना की गई। इसी लीग के द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर होमरूल आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। तिलक और एनी बेसेंट ने आयरलैंड के होमरूल आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए भारत में इस आंदोलन का सूत्रपात किया था।

इस आंदोलन के तहत स्वशासन के उद्देश्य को महत्व देते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया और इस आंदोलन में दो अलग-अलग होमरूल लीगों की स्थापना की गई— पहले होमरूल लीग की बाल गंगाधर तिलक द्वारा अप्रैल 1916 में पूना में तथा दूसरे की एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में मद्रास में। दोनों होमरूल लीगों ने प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान भारत को होमरूल या स्वराज्य देने की मांग के पक्ष में जोरदार प्रचार किया। इसी आंदोलन के दौरान तिलक ने यह लोकप्रिय नारा दिया— “स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा।”

तिलक की होमरूल लीग (Tilak's home rule league)

जून 1914 में तिलक 6 वर्ष के कारावास के बाद जेल से रिहा हुए और एक बार पुनः सक्रिय राजनीति में भाग लेने लगे, परंतु इस बार उन्होंने कांग्रेस से अलग एनी बेसेंट से मिलकर होमरूल आंदोलन शुरू करने की दिशा में प्रयास शुरू किया। एनी बेसेंट कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन शुरू करना चाहती थीं। अतः अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगाँव में होमरूल लीग की स्थापना की। तिलक द्वारा स्थापित होमरूल लीग के अध्यक्ष जोसेफ बैपतिस्ता तथा सचिव एन.सी. केलकर थे। इस होमरूल लीग का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र (बंबई को छोड़कर), कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक फैला था।

तिलक ने मराठी भाषा में **केसरी** और अंग्रेजी में **मराठा** नामक पत्रों के माध्यम से होमरूल की अवधारणा का प्रचार किया। उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण कर स्वराज प्राप्ति के लिये जनमत तैयार करने का प्रयास किया।

एनी बेसेंट की होमरूल लीग (Annie Besant's home rule league)

सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी ऑल इंडिया होमरूल लीग की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे तथा बी.पी. वाडिया, सी.पी. रामास्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, वी. चक्रवर्ती तथा जे. बनर्जी जैसे प्रमुख लोकप्रिय नेता इसके सदस्य थे। एनी बेसेंट की लीग का मुख्यालय अडयार (मद्रास) में स्थापित किया गया था। उसने लीग को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया। तिलक के कार्य को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत में इस लीग की संस्थाएँ सक्रिय

राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूरों एवं महिलाओं की सहभागिता (Participation of Labourers and Women in National Movement)

भारत की स्वतंत्रता के लिये राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1885 ई. में कॉन्ग्रेस की स्थापना के साथ हुई। आरंभ से ही इस आंदोलन में भारत के बुद्धिजीवियों एवं मध्यम वर्ग का वर्चस्व रहा, जबकि मजदूरों एवं महिलाओं की सहभागिता शुरुआती दौर में बहुत कम थी। जिस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में आधुनिक उद्योगों की स्थापना के साथ ही भारत में मजदूर संघों की गतिविधियाँ दिखाई देने लगीं, उसी प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन में जब गांधीवादी चरण की शुरुआत हुई तो महिलाओं की सहभागिता इस आंदोलन में दिखने लगी।

12.1 ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन (*Labour Movements in British India*)

- ब्रिटिश भारत में मजदूरों के शोषण, उनकी समस्याओं तथा कारखानों में विद्यमान असुविधाजनक कार्य परिस्थितियों में सुधार हेतु 1878 ई. में **सोराबजी शपुरजी बंगाली** ने सार्थक प्रयास किया। उन्होंने बंबई विधानसभा में श्रमिकों की कार्याविधि के बारे में विधेयक पेश किया, परंतु वह पारित नहीं हो सका। इससे पूर्व 1870 ई. में बंगाल के शशिपाद बनर्जी ने मजदूरों के लिये एक क्लब की स्थापना की और **भारत श्रमजीवी** नामक पत्रिका का प्रकाशन किया।
- भारत में गठित प्रथम श्रमिक संघ **बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन** था, जिसकी स्थापना 1890 ई. में **एन.एम. लोखंडे** ने की थी।
- 1897 ई. में स्थायी सदस्यता तथा स्पष्ट नियमों के साथ पहली बार एक मजदूर संगठन **अमलगमेटेड सोसायटी ऑफ रेलवे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एंड बर्मा** का गठन हुआ।
- भारतीय मजदूर वर्ग द्वारा प्रथम संगठित हड़ताल ब्रिटिश स्वामित्व वाली रेलवे में तब हुई, जब 1899 ई. में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर में कार्यरत श्रमिकों ने कम मजदूरी और अधिक कार्य अवधि के खिलाफ हड़ताल कर दी।
- 1908 ई. में क्रांतिकारी नेता बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा होने पर बंबई के कपड़ा मजदूरों ने लगभग एक सप्ताह की हड़ताल कर दी, जो मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल मानी जाती है।

श्रमिक संघों का गठन (*Formation of labour union*)

- भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन **मद्रास मजदूर संघ** था, जिसकी स्थापना 1918 ई. में बी.पी. वाडिया द्वारा की गई थी।
- मजदूरों के लिये अखिल भारतीय स्तर का प्रथम संगठन 1920 ई. में एन.एम. जोशी, जोसेफ बैपटिस्ट तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से **अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉन्ग्रेस (एटक)** के नाम से बनाया गया।
- एटक का प्रथम सम्मेलन 1920 ई. में बंबई में आयोजित किया गया, इसके प्रथम अध्यक्ष **लाला लाजपत राय** थे।
- कॉन्ग्रेस ने अभी तक मजदूरों की मांगों एवं अधिकारों को अपने घोषणा-पत्र में शामिल नहीं किया था। सर्वप्रथम 1920 ई. के नागपुर अधिवेशन में श्रमिकों की न्यायोचित मांग तथा उनके संघर्ष के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई।
- लाला लाजपत राय के अतिरिक्त सी.आर. दास, जी.ए. सेन गुप्ता, जी.एफ. एंड्रूज, सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू आदि नेताओं ने भी **अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कॉन्ग्रेस (एटक)** की अध्यक्षता की थी।
- ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था- 1926 से 1939 तक।

नोट: 'New lamps for old' लेख शृंखला (1893-94) में सर्वहारा-वर्ग के संपर्क से बाहर होने के लिये कॉन्ग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों को लिखने वाले लेखक अरविंदो घोष थे।

स्वतंत्रता के बाद भारत का एक राष्ट्र के रूप में उभरना अचानक घटित होने वाली घटना न होकर एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम था। भारतीय सभ्यता में विविधता के लक्षणों को हम प्राचीन काल से ही देख सकते हैं। जैसा कि कवि रबींद्रनाथ टैगोर ने भी माना है कि भारत की एकता भावनाओं की एकता है। स्वतंत्रता आंदोलन ने भारतीयों को राजनीतिक व भावनात्मक रूप से जोड़ दिया था और भारत को एक राष्ट्र का स्वरूप दे दिया था, लेकिन अभी भी भारत को पूरी तरह से राष्ट्र नहीं कहा जा सकता था, बल्कि यह राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में था। भारतीय राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया दीर्घकालीन व सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया थी।

राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले नेतागण, जो विभिन्न क्षेत्र, भाषा व धर्म से संबद्ध थे, भी जब इस नए गणतंत्र की बुनियाद रख रहे थे तो उन्होंने भारत के एकीकरण और राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया को न सिर्फ बनाए रखना चाहा बल्कि उसे भविष्य में और अधिक विकसित करने के बारे में भी सोचा।

राष्ट्र निर्माताओं ने भारत की विविधता को एक समस्या के रूप में न देखते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस विविधता को एक शक्ति का स्रोत माना, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे अधिक व जटिल सांस्कृतिक विभिन्नताओं वाला देश है। अतः स्वतंत्र भारत का निर्माण विविधता में एकता की अवधारणा के साथ हुआ। हालाँकि एक राष्ट्र के रूप में भारत के निर्माण में तमाम जटिलताएँ भी मौजूद थीं, परंतु स्वतंत्रता उपरांत भारतीय राष्ट्र का निर्माण एक वृहद् रणनीति के तहत किया गया था। इस रणनीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष संविधान था (क्योंकि संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में समस्त नागरिकों को धर्म, जाति व लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त कर, समाज के हर वर्ग को पूरी समानता देने की बात कही)। आरक्षण तथा सकारात्मक प्रतिबद्धता के माध्यम से भारतीय संविधान ने वंचित वर्गों के हितों को पुष्ट करने का प्रयास किया। इस संविधान को 26 जनवरी, 1950 को पूर्णरूपेण लागू करने के साथ ही भारत का उदय गणतंत्र के रूप में हुआ।

13.1 संविधान सभा और संविधान निर्माण समिति (Constituent Assembly and Constitution Making Committee)

कैबिनेट मिशन (Cabinet mission)

ब्रिटेन में 1945 में हुए आम चुनाव में उदारवादी दृष्टिकोण वाली लेबर पार्टी के सर क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। शांतिपूर्ण तरीके से भारत में सत्ता हस्तांतरण तथा संवैधानिक मामलों के समाधान हेतु मार्च 1946 को एक तीन सदस्यीय मिशन भारत भेजा गया जिसमें-सर स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और ए.वी. अलेक्जेंडर सदस्य थे। इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना एवं संविधान निर्माण के लिये एक योजना प्रस्तुत की।

अंतरिम सरकार का गठन (Formation of interim government)

कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के तहत 24 अगस्त, 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई और 2 सितंबर, 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठित हुई जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी, परंतु 26 अक्टूबर, 1946 को मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हो गई। परिषद में शामिल तीन सदस्यों- सैयद अली ज़हीर, शरतचंद्र बोस, सर शाफत अहमद ख़ाँ को हटाकर लीग के पाँच प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया। यहाँ मुस्लिम लीग के प्रवेश का उद्देश्य परिषद के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिये लड़ना था।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com

E-mail : online@groupdrishti.com



DrishtiIAS



YouTube Drishti IAS



drishtiias



drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456